


जाया -
रिपोर्ट दिनांक 21.05.24 का पत्र 219।


SDO

21.05.24

Note
press



पत्रावली पेश हुई। वकील वारी उपस्थित।
वकील वारी शूल वाड को भाजे नहीं चलाना
चाहते एवं -पाणालय द्वारा भी गई कार्यवाही
से सन्तुष्ट है। वकील वारी द्वारा शूल वाड
एवं प्रार्थना पत्र पत्रावली नोट-प्रेस करने
का निर्देश किया। वकील वारी द्वारा
शूल वाड एवं प्रार्थना पत्र नोट-प्रेस करने
से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।
पत्रावली फंसल शुमार होकर दफ्तर
दाखिल हो।



उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा